



Neutral Citation No.- 2026:AHC:55457

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन, संख्या - 5507 वर्ष 2026

कैलाश चंद्र और एक अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनुपम श्याम द्विवेदी, श्रीमती ऋचा दीक्षिता, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्कर्ष दीक्षित

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर दीक्षित, उनके सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम श्याम द्विवेदी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. इससे पहले प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें तामील किए जाने की सूचना दी गई है। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न तो स्वयं और न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर इस आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 2 का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह नोटिस तामील होने के बाद किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो, ताकि मामले की रक्षा और बचाव किया जा सके, जब उसे चुनौती दी गई हो।
3. वर्तमान आवेदन दिनांक 07.06.2025 के आरोपपत्र और दिनांक 15.11.2025 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ आपराधिक मामला संख्या 1141 वर्ष 2025 (राज्य बनाम कैलाश चंद्र और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 3 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस, थाना- सासनी (सासनी कोतवाली), जिला- हाथरस से संबंधित है और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस के विद्वान न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. आवेदकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी नंबर 2 ने आवेदकों को परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया है, क्योंकि कथित अपराध जैसा कुछ भी उनके द्वारा कभी नहीं किया गया है। आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक प्रश्नगत विक्रय विलेखों के केवल मामूली गवाह हैं। आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी भी तरह से उक्त विक्रय विलेखों के लाभार्थी नहीं थे। आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लगाए गए आरोपों के अनुसार, सभी आरोप सह-आरोपी उदल के विरुद्ध हैं, जिसने कथित विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर किए हैं, और आवेदकों का मामला उस सह-आरोपी से बेहतर स्थिति में है, जो कथित विक्रय विलेखों में केवल मामूली गवाह हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत दाखिल करते समय इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी। आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विरुद्ध कथित घटना से उन्हें जोड़ने वाले शायद ही कोई सबूत हैं। आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि निष्पक्ष जांच किए बिना, संबंधित जांच अधिकारी ने आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना उक्त आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के बाद आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिस पर संज्ञान लिया गया है और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक विक्रय विलेख के केवल मामूली गवाह हैं।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने और अभिलेखों तथा कथित विक्रय विलेखों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि आवेदक उक्त विक्रय विलेखों के केवल नाममात्र के/ अनुप्रमाणक गवाह हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है

कि वे उक्त विक्रय विलेखों के लाभार्थी भी नहीं हैं। यह मुद्दा कि क्या किसी वसीयतनामा या अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विक्रय विलेख के अनुप्रमाणक गवाह को आपराधिक मुकदमे में घसीटा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह व्यक्ति उक्त वसीयतनामा या विक्रय विलेख का लाभार्थी नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य [2019 (1) एससीसी 373] के मामले में पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें यह धारित किया गया है कि अनुप्रमाणक गवाह को अपराध के जाल में नहीं घसीटा जा सकता है।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. श्रीकांत (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, दिनांक 07.06.2025 का आरोपपत्र और दिनांक 15.11.2025 के संज्ञान/समन आदेश के साथ आपराधिक मामला संख्या 1141 वर्ष 2025 (राज्य बनाम कैलाश चंद्र और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 3 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस, थाना सासनी (सासनी कोतवाली), जिला- हाथरस से संबंधित है और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस के विद्वान अदालत के समक्ष लंबित है, को एतद्वारा आवेदकों के संबंध में अपास्त किया जाता है।

8. अतः, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है।

18 मार्च, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)